बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या–5 (न) वि–02/2015 2724 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा–3 सह पठित धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अंधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा–5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या–5 (न) वि–02/2015 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा–3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:–

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(क)

ग्राम का नाम	थाना सं0
1. सुरसंड असली, जिसके अंतर्गत तीन ग्राम पंचायत सुरसंड पश्चिमी, सुरसंड उत्तरी एवं सुरसंड पूर्वी हैं।	47

(ख)

चौहद्दी	ग्राम/थाना नम्बर	
उत्तर	बराही पंचायत (परिहार प्रखण्ड)	129
दक्षिण	वीररख पंचायत	31
पूरब	श्रीखंडी भिठ्ठा	49
पश्चिम	बनौली	27

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, सुरसंड कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
13/4/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या–5 (न) वि–02/2015 2724 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–13.4.17

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

13/4/2017
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\Ranjan 12.04.2017\Ranjan, 2017\Ranvi\thdu3h\Notification of Surshand.doc

संख्या–5 (न) वि–02/2015 2724 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 13.4.17

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या–5 (न) वि–02/2015 2724 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 13.4.17

प्रतिलिपिः–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\Ranjan 12.04.2017\Ranjan, 2017\Ranvi\thdu3h\Notification of Surshand.doc

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या–5 (न) वि–02 / 2015 2724 अधिसूचना संख्या– दिनांक– 13/4/17 को निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
Notification

No-5 (N) Vivdh-02/2015 2725 In exercise of powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered within a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

No-5 (N) Vivdh-02/2015 / In Exercise of powers conferred by sub section (1) (c) of Secion-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the areas falling in the circle of the following villages of the Sursand Block within the District of Sitamadhi whose boundary are noted below:-

1 (a) Name of villages and Thana Nos

Name of Village	Thana No.
1. Sursand Asli, within which there are three Gram Panchayat-Sursand West, Sursand North and Sursand East	47

(b) Boundary:-

North-	Barahi Panchayat (Parihar Block)	129
South-	Veerrakh Panchayat	31
East-	Srikhandi Bhittha	49
West-	Banaouli	27

These area will be called The Nagar Panchayat, Sursand

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Chaitanya Prasad) 13/4/2017
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\thdu3h\Notification of Surshand.doc

Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 2725 UD&HD Dated:- 13/4/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

13/4/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

.Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 2725 UD&HD Dated:- 13/4/17

Copy to All Departments/Departmental Heads/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Sitamadhi/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

13/4/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 2725 UD&HD Dated:- 13/4/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

13/4/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\thdu3h\Notification of Surshand.doc